2017 का विधेयक संख्यांक 247

[दि मुस्लिम वुमैन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017

विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तलाक की उद्घोषणा द्वारा विवाह-विच्छेद का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2017 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "इलैक्ट्रानिक रूप" का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में उसका है ; 2000 का 21

(ख) "तलाक" से तलाक-ए-बिद्दत या तलाक का कोई अन्य समान रूप अभिप्रेत है, जिसका प्रभाव किसी मुस्लिम पति द्वारा उद्घोषित तुरंत और अप्रतिसंहरणीय विवाह-विच्छेद है ; और

(ग) "मजिस्ट्रेट" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उस क्षेत्र में, जहां कोई विवाहित मुस्लिम महिला निवास करती है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है । 1974 का 2

अध्याय 2

तलाक की घोषणा का शून्य और अवैध होना

तलाक का शून्य और अवैध होना ।

3. किसी व्यक्ति द्वारा उसकी पत्नी के लिए, शब्दों द्वारा, चाहे वे बोले गए हों या लिखित हों या इलैक्ट्रानिक रूप में हों या किसी अन्य रीति में हो, चाहे कोई भी हो, तलाक की उदघोषणा शून्य और अवैध होगी ।

तलाक की उद्घोषणा करने के लिए दंड ।

4. जो कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए धारा 3 में निर्दिष्ट तलाक की उदघोषणा करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडित किया जाएगा ।

अध्याय 3

विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा

निर्वाह भत्ता ।

5. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई ऐसी विवाहित मुस्लिम महिला, जिसके लिए तलाक की उदघोषणा की गई है, अपने पति से स्वयं उसके और आश्रित बालकों के लिए ऐसी रकम का निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होगी, जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाए ।

अवयस्क संतानों की अभिरक्षा ।

6. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई विवाहित मुस्लिम महिला, उसके पति द्वारा तलाक की उदघोषणा किए जाने की दशा में, ऐसी रीति में, जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाए, अपने अवयस्क बालकों की अभिरक्षा के लिए हकदार होगी ।

अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना ।

7. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, उक्त संहिता के अर्थान्तर्गत संज्ञेय और अजमानतीय होगा । 1974 का 2

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उच्चतम न्यायालय ने शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य के मामले तथा अन्य संबद्ध मामलों में 22 अगस्त 2017 को 3:2 के बहुमत से तलाक-ए-बिद्दत (एक साथ और एक ही समय तलाक की तीन उद्घोषणाएं) की प्रथा को, जिसे कतिपय मुस्लिम पतियों द्वारा अपनी पत्नियों से विवाह-विच्छेद के लिए अपनाया जा रहा था, अपास्त कर दिया था । इस निर्णय से कुछ मुस्लिम पुरूषों द्वारा विवाह-विच्छेद की पीढियों से चली आ रही स्वेच्छाचारी और बेतुकी पद्धति से, जिसमें समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है, भारतीय मुस्लिम महिलाओं को स्वतंत्र करने में बढ़ावा मिला ।

2. याची ने पूर्वोक्त मामले में, अन्य बातों के साथ, तलाक-ए-बिद्दत को इस आधार पर चुनौती दी कि उक्त प्रथा भेदभावपूर्ण और महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध है । इस निर्णय ने सरकार के इस मत का समर्थन किया कि तलाक-ए-बिद्दत सांविधानिक नैतिकता, महिलाओं के सम्मान और लैंगिक समानता के सिद्धांत और साथ ही संविधान द्वारा प्रत्याभूत लैंगिक समानता के विरुद्ध है । अखिल भारतीय मुस्लिम स्वीय विधि बोर्ड (एआईएमपीएलबी), जो पूर्वोक्त मामले में 7वां प्रत्यर्थी था, ने अपने शपथ पत्र में, अन्य बातों के साथ, यह दलील दी थी कि धार्मिक प्रथाओं जैसे तलाक-ए-बिद्दत का विनिश्चय करना न्यायपालिका का कार्य नहीं है बल्कि उस पर विधानमंडल कोई विधि बना सकता है । उन्होंने उच्चतम न्यायालय में यह निवेदन किया था कि वह इस कुप्रथा के विरूद्ध अपने समुदाय के लोगों को एक परामर्श जारी करेगा ।

3. उच्चतम न्यायालय द्वारा तलाक-ए-बिद्दत को अपास्त करने और एआईएमपीएलबी के आश्वासन के बावजूद देश के विभिन्न भागों से तलाक-ए-बिद्दत के माध्यम से विवाह-विच्छेद की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । यह देखा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा तलाक-ए-बिद्दत को अपास्त करने का परिणाम कतिपय मुस्लिमों के बीच इस प्रथा द्वारा विवाह-विच्छेद के मामलों को कम करने में भयपरतिकारी के रूप में नहीं हुआ है । इसलिए यह अनुभव किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश को प्रभावी करने के लिए और अवैध विवाह-विच्छेद की पीड़ित महिलाओं की शिकायतों को दूर करने के लिए राज्य कार्रवाई की आवश्यकता है ।

4. तलाक-ए-बिद्दत के कारण असहाय विवाहित मुस्लिम महिलाओं के लगातार उत्पीड़न को निवारित करने के लिए, उन्हे कुछ अनुतोष प्रदान करने के लिए समुचित विधान की तुरंत आवश्यकता है । विधेयक मुस्लिम पतियों द्वारा तलाक-ए-बिद्दत की उद्घोषणा को उच्चतम न्यायालय के अधिमत को दृष्टिगोचर रखते हुए शून्य और अवैध घोषित करने के लिए प्रस्ताव करता है । इसके अतिरिक्त, तलाक-ए-बिद्दत की उद्घोषणा का अवैध कार्य एक दंडनीय अपराध होगा । यह इस प्रकार के विवाह-विच्छेद को निवारित करने के लिए अनिवार्य है, जिसमें पत्नी का वैवाहिक संबंध को समाप्त करने में कोई मत नहीं होता है । पति द्वारा तलाक-ए-बिद्दत की उद्घोषणा की दशा में पत्नी और आश्रित बालकों के जीवनयापन और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे मामलों के लिए

निर्वाह भत्ते आदि का भी उपबंध करने का प्रस्ताव है । पत्नी अवयस्क बालकों की अभिरक्षा की भी हकदार होगी ।

5. विधान विवाहित मुस्लिम महिलाओं को लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता के बृहत्तर सांविधानिक ध्येयों को सुनिश्चित करेगा और उनके भेदभाव के प्रति और सशक्तिकरण के मूलभूत अधिकारों के हितसाधन में सहायक होगा ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
15 दिसम्बर, 2017

रवि शंकर प्रसाद

GMGIPMRND—2940LS(CRC)—18-12-2017.